



महत्त्व पर बल दिया गया ।

■ अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणयः

- वर्ष 2023 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरिणय दिया कि नाबालगि पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार है, और ऐसे मामलों में सहमति के बचाव को खारजि कर दिया ।
- वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं है और ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति अप्रासंगिक है ।

■ अप्राकृतिक यौन संबंध पर न्यायिक नरिणयः

- [2023] [2023] [2023] [2023], 2018: सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से नरिस्त कर दिया ।
- सरकार का रुख: गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यद्यपि पति अपनी पत्नी की सहमति का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन इसे "बलात्कार" कहना अत्यधिक कठोर और असंगत है ।

## वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

अपराधीकरण के लिये	अपराधीकरण के विरुद्ध
स्वायत्तता का उल्लंघन: हर व्यक्ति को यौन संबंध बनाने से इंकार करने का अधिकार है, यहाँ तक कि विवाह के बाद भी । [2023] [2023] [2023] [2023], 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन स्वायत्तता को बनाए रखा और इसे विवाह के बाद तक बढ़ाया जाना चाहिये ।	विवाह को खतरा: अपराधीकरण से वैवाहिक संबंध अस्थिर हो सकते हैं ।
सर्वोच्च न्यायालय नरिणयः इंडिपेंडेंट थॉट केस, 2017 ने नाबालगिों के लिये वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी, जिससे सहमति को बल मिला ।	मौजूदा कानून पर्याप्त : घरेलू हिंसा कानून पहले से ही यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं ।
कानून के समक्ष समानता : पतियों को छूट देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है (अनुच्छेद 14, 15, 21) ।	संभावित दुरुपयोग: तलाक और हरिस्त के मामलों में झूठे आरोप लग सकते हैं ।
POCSO एवं बाल संरक्षण: नाबालगिों के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध अपराध है; यह विवाहति वयस्कों पर भी लागू होना चाहिये ।	सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड: पारंपरिक रूप से विवाह में यौन संबंध शामिल होते हैं, जिससे वधिक परिवर्तन जटिल हो जाता है ।
कानूनी वशिधाभास: धारा 377 को हटाने के बावजूद BNS में पतियों के लिये प्रतरिक्षा को बनाए रखा गया है ।	वधायी क्षेत्र: सरकार का तर्क है कि इस संबंध में न्यायालय को नहीं, बल्कि वधायिका को नरिणय लेना चाहिये ।

## वशि्व स्तर पर वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण

- 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है, 74 देशों में सामान्य प्रावधानों के तहत पति-पत्नी के विरुद्ध मामले चलाने की अनुमति दी गई है तथा 34 देशों में इसे अपराधमुक्त कर दिया गया है या इसमें छूट दी गई है ।
- वैवाहिक बलात्कार 50 अमेरिकी राज्यों, 3 ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, इजरायल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया तथा कई अन्य देशों में अवैध है ।
- ब्रिटन (जहाँ से IPC काफी हद तक प्रेरित है) ने वर्ष 1991 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया था ।

## वैवाहिक बलात्कार को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है?

- जया जेटली समिति की सफारिशें: लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने और गैर-सहमति वाले यौन संबंध (वैवाहिक बलात्कार) के जोखिम को कम करने के लिये महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए ।
- वधायी सुधार: वैवाहिक बलात्कार से छूट को हटाने के लिये BNS में संशोधन करना चाहिये तथा वैवाहिक सहमति को वधिक आवश्यकता के रूप में मान्यता देनी चाहिये ।
- वैकल्पिक कानूनी ढाँचा: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का वसितार करके इसमें वैवाहिक यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिये, तथा दंडात्मक आदेश और मुआवज़े जैसे मज़बूत नागरिक उपचारों की पेशकश की जानी चाहिये ।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: भारत ब्रिटन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का अध्ययन कर सकता है ताकि सांस्कृतिक रूप से अनुकूल वैवाहिक बलात्कार कानून वकिसति किया जा सके, जो सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर वधिार करते हुए वैश्विक मानवाधिकारों के साथ संरेखित हो ।

## नषिकर्ष

वैवाहिक बलात्कार पर चर्चा वयक्तगित स्वायत्तता, वधिक समानता और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के बीच भेद प्रकट करती है । वभिन्न देशों ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, भारत में पतियों के लिये कानूनी प्रतरिक्षा बरकरार है । यहाँ न्यायिक फ़ैसले सहमति और गरमा पर ज़ोर देते हैं, लेकिन वधायी अनिच्छा बनी हुई है । इस मुद्दे पर वधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसमें वयक्तगित अधिकारों को सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित किये जाने की आवश्यकता है ।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

Q. महिलाएँ जनि समस्याओं का सार्वजनिक एवं नज़िी दोनों स्थलों का सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2017)

Q. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/marital-rape-in-india-1>

